


कार्यालय ज्ञापन

विषय : उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्रों की स्वीकृति ।

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 24.4.1990 के का.ज्ञा. सं. 36012/6/88-स्था.(एससीटी) तथा दिनांक 15.11.1993 के का.ज्ञा. संख्या 36012/22/93-स्था.(आरक्षण) में यह प्रावधान है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापनों में जाति/जनजाति/समुदाय प्रमाण-पत्रों, जो निर्धारित प्राफार्मा में हो तथा उक्त का.ज्ञा. में उल्लिखित प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हों, को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से संबंध रखने हेतु किसी उम्मीदवार के दावे के समर्थन में एक पर्याप्त सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा । इस विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय संगठन इस तरह निर्धारित प्राफार्मा में प्रमाण-पत्रों को स्वीकार नहीं करते हैं और उम्मीदवारों को किसी अन्य प्राफार्मा में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहते हैं । इस बात पर बल दिया जाता है कि उपर्युक्त संदर्भित अनुदेशों का अच्छी तरह से पालन किया जाए ।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध किया जाता है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को सभी संबंधितों को ध्यान में ला दें ।


(जी.एस.पुण्डीर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23092110

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा इस मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के सभी अधिकारी अनुभाग ।
3. वित्त कार्य विभाग, नई दिल्ली ।
4. वित्तीय सेवा विभाग, नई दिल्ली ।
5. सार्वजनिक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
6. रेलवे बोर्ड ।
7. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
8. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली ।

9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
12. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-1, भीकाजी कामा पैलेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली ।
13. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
14. सीबीआई, एलबीएसएनएए, एसएससी, आईएसटीएम, पीईएसबी, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, गृह मंत्रालय पुस्तकालय ।
15. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
16. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
17. का.जा.सं. 36012/6/88-स्था.(आरक्षण) दिनांक 24.04.1990, सं. 36012/6/76-स्था.(अ.जा.) दिनांक 29.10.1977 और का.जा. सं. 36012/22/93-स्था.(अ.ज.जा) दिनांक 15.11.1993 के साथ इसे वेबसाइट (नया क्या है) पर अपलोड करने के लिए एनआईसी को ।